

24/5/24

पत्रा. केवल नोटि कृषी पर वेम हूँ, कमिभाजक
 अपीलाने उप. रेसो. उप. नहीं है। फ्री लागी नो रिज
 काद वामि कदम वामि कदम नही हूँ। कृषि.
 कृषीलागी ने एक प्रारंभिक पत्र वास्तव को रक्षणीक
 कादेश कृषि. प्रोजेक्ट नही होकर रिप्लीजन गोरु लेने
 से मूल पत्रावली सशम न्यायालय में पेश करने
 हेतु लीयरी जाने का पेश किया। प्रा. पत्र का
 अलोकन नकेल इन्फार्मेशन कादेश सं. 485 दि. 17/6/22
 जिला कलकत्ता यू.पी. द्वारा राज. प्र. राजस्व (सकल, कोलेज,
 शिक्षा, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये
 अनावधानित राजस्व शुक्ति युक्ति का कायदा) निमत 1963
 के तहत 240 नं. 154 रकम का 4-5082 ई. नो. पु. करों के से
 1-6190 ई. (10 वीं घा) रिलीफेशन हेतु शिक्षा विभाग युक्ति
 को कायदा की गयी। उक्त कादेश न्यायिक निर्यात
 नहीं होकर प्रशासनिक कादेश होने से प्रा. पत्रावली
 स्वीकार किया जाकर मूल कृषि सशम न्याया
 में पेश करने हेतु कृषीलागी को लीयरी जारी है।
 कादेश का मूल कृषीलागी को प्रमाणित न्यायालय
 सुरक्षित रखी जाकर काद वामि कदम को दा. (एक प्रकृत) संभावित

1302
 31.5.24